Bank of Bikaner Employees' Union on the question of bonus for 1950; and

(b) if so, the action Government propose to take in the matter?

The Deputy Minister of Labour (Shri Abid Ali): (a) Yes.

(b) The request of the employees union that the disputes should be referred for adjudication was carefully considered by Government which came to the conclusion that the dispute was not fit to be referred for adjudication to a Tribunal. The union was informed accordingly.

ERNAKULAM-QUILON RAIL LINK

*1696. **Shri T. B. Vittal Rao:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the progress of work on the Ernakulam-Quilon Railway link; and

(b) when it is likely to be completed and opened for traffic?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Railways and Transport (Shri Shahnawaz Khan): (a) The work on the formation and bridges for about 50 miles involving about 750 lakh cubic feet of earthwork and 200 bridges has been completed. Work on the remaining length is making rapid progress.

(b) In April, 1957, subject to the receipt of girdors and Track materials in time.

काम दिलाऊ दफ्तर

*१६०६. डा० सत्यवादी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि काम दिलाऊ दफ्तरों को राज्य सरकारों से पूरा सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है,

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है,

(ग) १९५४ में पटियाला के काम दिलाऊ दफ्तर से कितने स्थानों के लिए व्यक्तियों की मांग की गई, और

(घ) उन में से कितने स्थानों के लिए सरकार ने और कितनों के लिए गैर-सरकारी व्यक्तियों ने मांग की?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) तथा (ख). काम दिलाऊ दफ्तरों को राज्य सरकारों से बड़ी सहायता मिली और मिल रही है। मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य का मतलब काम दिलाऊ दफ्तरों को रिक्त स्थानों की सूचना देने की रीति और उनके द्वारा भरती करने की रीति से है। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि अधिकतर राज्य सरकारों ने अपने विभागों और कार्यालयों को यह आदेश दिया है कि सेवा आयोगों और प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं द्वारा भरी जाने वाली जगहों के अतिरिक्त बाकी सभी खाली जगहों की सूचना काम दिलाऊ दफ्तरों को दी जाए।

कुछ राज्य सरकारों ने यह भी निर्णय किया है कि खुले आम भरती उसी दशा में की जाए जब काम दिलाऊ दफ्तर योग्य उम्मेदवारों को मनोनीत न कर सकें। लेकिन यह रीति सर्वत्र नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए दोहरी नीति है। प्रथम काम दिलाऊ दफ्तरों की कार्य क्षमता और उपयोगिता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और दैनिक प्रशासन की सत्ताएं धीरे धीरे राज्य सरकारों को दी जा रही हैं। इससे राज्य सरकारों की दिलचस्पी काम दिलाऊ दफ्तरों की ओर बढ़ेगी तथा साथ ही इन दफ्तरों की देखरेख और प्रबन्ध और अच्छा होगा। साथ ही साथ उम्मेदवारों की पृथक मनोनयन प्रणाली के अन्तर्गत प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि वे अपने उत्तरदायित्वों के अनुकूल बनें, साथ ही राज्य सरकारों तथा उनके विभागों को प्रभावित किया जा रहा है कि वे इन दफ्तरों का अधिक से अधिक उपयोग करके उनके निर्माण में सहायता दें।

(ग) तथा (घ). १९५४ में पटियाला के काम दिलाऊ दफ्तर को भेजे गए रिक्त स्थानों की